

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 17.12.2024

80 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब ,5 किग्रा0 यूरिया , 2.5 किग्रा0 नौसादर के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हुते चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट नेतृत्व में उ0नि0 प्रमोद कुमार मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 80 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 5किग्रा0 यूरिया, 2.5 किग्रा0 नौसादर के साथ अभियुक्त तुलसी निषाद को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 415/2024 धारा 274 भा0न्या0सं0 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

तुलसी निषाद पुत्र स्व0 रामप्रसाद निवासी बेलवारायपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर हा.मु. चकरा अब्बल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 415/2024 धारा 274 भा0न्या0सं0 व 60(2) आबकारी अधि0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 113/2024 धारा 323,504,506 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 345/2023 धारा 272 भादवि 60 आबकारी अधि0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

80 लीटर अवैध कच्ची शराब ,5 किग्रा0, यूरिया 2.5 किग्रा नौसादर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. प्रशि0उ0नि0 आदित्य सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. कां0 अर्जुन यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. कां0 विरेन्द्र सरोज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर